उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2024
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या–.................वर्ष, 2024)

कारागारों से संबंधित विधि में संशोधन करने तथा कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में सुरक्षित अभिरक्षा, सुधार, उद्धार एवं पुनर्वास और उत्तराखण्ड राज्य की कारागारों एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रबंधन और उससे सम्बंधित या आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कारागार और सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम 2024 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर लागू होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "रिहाई (निमुर्क्ति) के पश्चात सेवाएं" से ऐसी सेवा या गतिविधि अभिप्रेत है जिसका उदेश्य रिहा (निमुर्क्त) कैदी के पुनर्वास से है, जिससे वह कर्तव्यपरायण नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत कर सके;

(ख) "सिविल कैदी" से कोई ऐसा कैदी जो दाण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के रिट, वारंट, आदेश के अधीन अथवा कोर्ट मार्शल के आदेश के अधीन अभिरक्षा में नही रखा गया है तथा जो नजरबंद (Detenue) नहीं है, अभिप्रेत है;

(ग) "सिद्धदोष" से दाण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय के दण्डादेश अथवा कोर्ट मार्शल के अधीन कोई कैदी अभिप्रेत है;

(घ) "सुधारात्मक सेवाएं" से ऐसी सेवा या कार्यक्रम अभिप्रेत है जो कैदी के सुधार और पुनर्वास पर केन्द्रित है तथा इसमें कैदी के मूल्यांकन, पर्यवेक्षण, उपचार, प्रशिक्षण, नियंत्रण तथा अभिरक्षा से सम्बंधित सेवा सम्मिलित है;

(ङ) "न्यायालय" में दीवानी, आपराधिक या राजस्व क्षेत्राधिकार की शक्तियों का विधिक रूप से प्रयोग करने वाला अधिकारी सम्मिलित है;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा
उत्तराखण्ड

(च) "मुख्यालय" से उत्तराखण्ड राज्य का कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग का मुख्यालय अभिप्रेत है;

(छ) "नजरबंद (Detenue)" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे निवारक निरोध से संबंधित किसी विधि के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के आदेश से कारागार में निरूद्ध किया गया है;

(ज) "परिवार" से पति/पत्नी/बच्चे, भाई–बहन माता–पिता, पितामह/पितामही, पौत्र/पौत्रियां तथा ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी) कैदियों के सन्दर्भ में सामाजिक, धार्मिक परिवार प्रणाली के आधार पर जुड़े लोग अभिप्रेत है;

(झ) "विदेशी कैदी" से कोई ऐसा कैदी जो भारत का नागरिक नहीं है, अभिप्रेत है;

(ञ) "फरलो" से कारागार में अच्छे आचरण को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सजा की निर्धारित अवधि को काटने के बाद कतिपय दोषसिद्ध कैदियों को दी गई कम अवधि की छुट्टी अभिप्रेत है;

(ट) "सरकार" से उत्तराखण्ड़ राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ठ) "आदतन अपराधी" से कोई कैदी अभिप्रेत है जो अपराध के लिए बार–बार जेल में बंद किया जाता है;

(ड) "कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के प्रमुख" से सरकार द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "उच्च जोखिम वाले कैदी" से हिंसा, भागने, आत्मघाती, अव्यवस्थित व्यवहार, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा एवं कारागार में अशांति पैदा करने की उच्च प्रवृत्ति वाला कैदी अभिप्रेत है और इसमें संगठित अपराध तथा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कैदी भी सम्मिलित हैं;

(ण) "उच्च सुरक्षा कारागार" से ऐसा स्वतंत्र (independent) पर्याप्त साधनों वाला कारागार परिसर अभिप्रेत है जिसमें सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों जैसे आंतकवादी गतिविधियों में संलिप्त, गैंगस्टर, खतरनाक कैदी, सख्त अपराधी, आदतन अपराधी, भागने (फरारी) की उच्च प्रवृत्ति वाले कैदी, दंगा करने वाले कैदी तथा अन्य कैदियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले कैदी जिन्हें उच्च सुरक्षा अभिरक्षा क्षेत्र में रखना आवश्यक है, को रखने के लिए क्रियाशील मजबूत सुरक्षा प्रणाली सहित स्वतंत्र न्यायालय (independent court) परिसर की व्यवस्था हो;

(त) "इतिवृत्त (हिस्ट्री) टिकट" से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया टिकट जिसमें प्रत्येक कैदी के संबंध में सभी सुसंगत जानकारी प्रदर्शित हो, अभिप्रेत है;

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(थ) "संस्थान" से स्थान जहाँ कैदियों को कानूनी रूप से परिरुद्ध किया जाता है, अभिप्रेत है;

(द) कारागारों के संबंध में "चिकित्सा अधिकारी" से एक योग्य सरकारी चिकित्सक जो कारागार के चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त है, अभिप्रेत है;

(ध) "अधीनस्थ चिकित्सा कर्मचारी" से एक योग्य चिकित्सा सहायक, जैसे फार्मासिस्ट, नर्स, लैब तकनीशियन आदि अभिप्रेत है;

(न) "खुले सुधारात्मक संस्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां पात्र कैदियों को ऐसी शर्तों पर परिरूद्ध किया जाता हो जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, ताकि रिहाई के बाद उनके पुनर्वास की सुविधा के लिए नियमित जेल के बाहर उन्हें और अधिक स्वतंत्रता दी जा सके;

(प) "पैरोल" से एक दोषसिद्ध कैदी के पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए संक्षिप्त अवधि के लिए अस्थायी रिहाई अभिप्रेत है;

(फ) "कारागार" से कैदियों की नजरबंदी के लिए सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन स्थायी या अस्थायी रूप से उपयोग किया जाने वाला कोई भी स्थान, जिसमें सभी भूमि और अनुलग्नक भवन सम्मिलित हैं, लेकिन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है–

(क) कैदियों को परिरूद्ध करने के लिए कोई भी स्थान जो विशेष रूप से पुलिस की अभिरक्षा में हो;

(ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 457 के अधीन सरकार द्वारा विशेष रूप से नियत कोई स्थान;

(ग) कोई भी स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त (subsidiary) कारागार घोषित किया गया हो ।

(ब) "कारागार अधिकारी" से मुख्यालय से संबंधित अधिकारी और जिसमें कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा/सुधारात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए कारागार प्रशासन की सहायता हेतु कारागार में तैनात कोई भी अन्य सुरक्षा बल या अन्य किसी सेवा के अधिकारी सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(भ) "कारागार स्टाफ" से कारागार अधिकारी के अतिरिक्त विभाग द्वारा नियुक्त, सरकार का कर्मचारी, जो इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करता हो या कर्तव्यों या कार्यों का पालन करता हो या जैसा कि सरकार द्वारा सौंपा जाये, अभिप्रेत है;

(म) "युवा अपराधियों के लिए संस्थान" से युवा कैदियों के लिए, उनकी देखभाल, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करने, उनके सुधार के

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का माहौल प्रदान करने और उन्हें अपराध की पुनरावृत्ति से दूर करने के लिए स्थापित कारागार अभिप्रेत है;

(य) "कैदी/बंदी" से किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी की रिट, वारंट, आदेश या दंडादेश की अधीन कारागार में अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें दोषसिद्ध कैदी, सिविल कैदी, विचाराधीन कैदी, न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन रिमांड में भेजा गया कैदी सम्मिलित है जिसे विधिक रूप से कारागार एवं सुधारात्मक संस्थान में रखा गया है;

(य क) ''विहित''से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(य ख) "प्रतिबंधित वस्तु (निषिद्ध)" से ऐसी कोई वस्तु अभिप्रेत है जो कैदियों, कारागार कर्मचारियों, कारागार संस्थान या किसी वस्तु, पदार्थ या सामग्री की सुरक्षा या अभिरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है, या कारागारों एवं सुधारात्मक संस्थानों या सरकार द्वारा कैदी के कब्जे में होने से प्रतिषिद्ध सामग्री, जैसे सेल फोन, संचार उपकरण, ड्रग्स या ऐसी कोई भी चीज जिसका उपयोग हथियार के रूप में या भागने में सहायता के लिए किया जा सकता है, जैसे कि आग्नेयास्त्र या उसका कोई हिस्सा, विस्फोटक, चाकू, तार, उपकरण, रसायन, रेजर ब्लेड, शराब, माचिस, लाइटर आदि या अन्य कोई वस्तु, जिसे कारागार के भीतर या बाहर लाना या हटाना इस अधिनियम या अधिनियम के तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि या सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित है;

(य ग) "अभ्यस्थ (Recidivist)" से कोई कैदी जिसे एक से अधिक बार अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, अभिप्रेत है;

(य घ) "परिहार" से अर्ह दोषी कैदी की सजा को कारागार से जल्दी रिहाई की संभावना के साथ कम करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायत है, जो नियमों द्वारा विहित की जाय, अभिप्रेत है;

(य ङ) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियम अभिप्रेत है;

(य च) "कारागार के प्रभारी अधिकारी" से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारागार के प्रभारी के रुप में नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

(य छ) "विचाराधीन कैदी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे दोषसिद्ध नही किया गया हो और जो पुलिस की विवेचना के दौरान या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया हो;

(य ज)''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(य झ) "वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस" से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, पामटॉप या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

अभिप्रेत है, जिसका उपयोग किसी भी सेलुलर या सैटेलाइट नेटवर्क या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य किसी भी उपकरण का उपयोग करके अनाधिकृत संचार के लिए किया गया है;

(य ञ) "युवा अपराधी" से ऐसा कैदी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो, अभिप्रेत है।

अध्याय दो

कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के कार्य

कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के कार्य

3. कारागारों के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) किसी न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के किसी रिट, वारंट या आदेश के अधीन उसे सौंपे गये कैदी को सुरक्षित हिरासत में रखना।

(2) कैदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाना।

(3) कैदियों को भोजन, वस्त्र, आवास, अन्य आवश्यकताएं और चिकित्सा उपचार प्रदान करना।

(4) कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में उनका पुनर्वास करने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपचार प्रदान करना।

(5) इस अधिनियम के प्रावधानों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार कारागार में अनुशासन बनाए रखना।

अध्याय तीन

कारागार आवास

कैदियों के लिए आवास

4. राज्य में कैदियों को समायोजित करने के लिए सरकार राज्य में पर्याप्त संख्या में कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक संस्थान की व्यवस्था करेगी जिनका निर्माण और रखरखाव इस तरह से किया जायेगा, जिससे इस अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके।

कारागार की वास्तुकला और संस्थागत पैटर्न

5. (1) कारागार, भूतल स्थान, वायु क्षेत्र और कक्षों, बैरकों, स्नान स्थलों, रसोई, कार्य–शेडों, अस्पतालों में संवातन के निर्माण का पैटर्न ऐसे मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप होगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) प्रत्येक कारागार के लिए सुरक्षा, स्थान और अन्य सुविधाओं के मानक ऐसे होंगे जो नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) कारागारों को इस प्रकार बनाया जायेगा जिससे महिलाओं/ट्रांसजेंडर (उभयलिंगी)/ नशे के आदि /विकलांग व्यक्तियों/संक्रामक रोग या मानसिक बीमारी से पीड़ित/वृद्ध और कमजोर कैदियों, विचाराधीन कैदियों, सजायाफ्ता जैसे कैदियों को अलग करने एवं अलग रहने की सुविधा और विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके तथा उच्च

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

सुरक्षा वाले कैदी, आदतन/अभ्यस्थ कैदी, युवा अपराधी, सिविल कैदी, नजरबंद (Detenue), आदि जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, के अनुसार बनाये जायेंगे।

(4) कारागार प्रशासन और सुधारात्मक संस्थानों की स्थापना में कार्यात्मक आवश्यकता के अनुसार कारागार अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं सम्मिलित होंगी।

(5) राज्य में जहां कहीं भी स्टैंड–अलोन उच्च सुरक्षा कारागार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां उच्च जोखिम वाले अपराधियों, सख्त अपराधियों और आदतन अपराधियों को अलग किया जाएगा और कारागार की अलग बैरकों या प्रकोष्ठों में रखा जाएगा, जिसमें उन्हें कारागार के अन्य कैदियों, युवा अपराधियों, प्रथम बार के अपराधियों आदि के साथ घुलने–मिलने से दूर रखने का प्रावधान होगा।

(6) उपधारा (5) में संदर्भित ऐसे अलग आवास में कैदियों को सुरक्षित और संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उचित उन्नत वास्तुकला, डिजाइन और संस्थागत पैटर्न होगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक संस्थानों की श्रेणियाँ

6. (1) सरकार कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों की स्थापना कर सकती है, जैसे:

(एक) केंद्रीय कारागार,

(दो) जिला कारागार,

(तीन) उप कारागार,

(चार) खुले सुधारात्मक संस्थान,

(पांच) उच्च सुरक्षा कारागार,

(छः) विशेष महिला कारागार,

(सात) युवा अपराधियों के लिए संस्थान।

टिप्पणीः– इन कारागार संस्थानों में निरूद्ध किये जाने वाले कैदियो के वर्गीकरण के सम्बन्ध में सरकार समय–समय पर नियम बना सकेगी।

(2) सरकार किसी भी श्रेणी के कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक संस्थानों की संख्या और उस स्थान जहाँ इन्हें स्थापित किया जा सके, को निर्धारित कर सकेगी।

(3) प्रत्येक केंद्रीय कारागार/जिला कारागार में उच्च जोखिम वाले कैदियों/सख्त अपराधियों/आदतन अपराधियों के लिए एक अलग वार्ड का प्रावधान होगा, जहां उन्हें अन्य कैदियों के साथ घुलने–मिलने के अवसर के बिना अलग से कक्षों में रखा जा सके ताकि उनके नकारात्मक प्रभाव और कट्टरपंथी विचार प्रक्रिया से अन्य कैदियों की सुरक्षा की जा सके।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(4) सभी केंद्रीय/जिला कारागारों में उच्च जोखिम वाले कैदी वार्ड के लिए उपयुक्त और उन्नत सुरक्षा अवसंरचना और प्रक्रियाएं होंगी। ऐसे कारागारों में अदालती सुनवाई/परीक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय (Independent Court) परिसर के लिए उपयुक्त प्रावधान भी होंगे।

कैदियों के लिए अस्थायी आवास

7. जब कभी सरकार को यह प्रतीत होता है कि –

(1) किसी भी कारागार में कैदियों की संख्या उनको सुविधाजनक या सुरक्षित रूप में रखे जाने की अपेक्षा से अधिक है और अतिरिक्त संख्या को किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करना सुविधाजनक नहीं है, या

(2) जब कभी किसी कारागार में किसी रोग के फैलने के कारण या किसी अन्य कारण से बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करना वांछनीय हो,

तो सरकार उतने कैदी जिन्हें कारागार में सुविधापूर्वक या सुरक्षित रूप से नहीं रखे जा सकते हैं, आश्रय और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अस्थाई कारागारों के लिए समुचित व्यवस्था के लिए निर्देशित कर सकती है।

अध्याय चार
संगठनात्मक ढ़ांचा

कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं मुख्यालय

8. (1) राज्य में कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं मुख्यालय होगा, जो सरकार द्वारा निर्धारित कारागार नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा, और विभिन्न कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं तथा उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों की योजना, आयोजन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करेगा। मुख्यालय में उतने अधिकारी और कर्मचारी होंगे जितने सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किए जायें।

(2) संस्थागत ढ़ांचे पर निर्णय कैदियों की संख्या, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यभार की आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा, और कार्यबल में कार्यकारी, मिनिस्ट्रियल, गार्डिंग स्टाफ, सुधारात्मक अधिकारी एवं कर्मचारी, चिकित्सा कार्मिक आदि सम्मिलित होंगे, जैसा कि नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख

9. (1) कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रशासन के लिए सरकार, कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख (उचित रैंक के अधिकारी, जैसा सरकार उचित समझे) की नियुक्ति इस अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अंतर्गत करेगी।

(2) कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे, और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीगण कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख के सामान्य पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन कार्य करेंगे।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(3) कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख भी ऐसी प्रशासनिक, वित्तीय और अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो विभाग के प्रमुख द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं और ऐसी अन्य शक्तियां जो विशेष रूप से सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें प्रदान की जाय, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कारागार के अन्य अधिकारी

10. (1) सरकार कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग, मुख्यालय के प्रमुख की सहायता के लिए और अधिनियन एवं नियमों के अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उतने अधिकारियों जितने आवश्यक हो, की नियुक्ति कर सकती है।

(2) प्रत्येक कारागार के लिए एक प्रभारी अधिकारी होगा, जो कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं का वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक, जेलर, उप जेलर या कोई अन्य अधिकारी जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, हो सकता है।

(3) कारागार का सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन प्रभारी अधिकारी में निहित होगा और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उसके निर्देशन के अधीन ऐसे कर्तव्यों तथा कार्यों को करेंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

भर्ती और प्रशिक्षण

11. (1) कारागार के अधिकारियों और कर्मचारियों की योग्यता, भर्ती, नियुक्ति और प्रशिक्षण ऐसे होंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों के वेतन और अन्य लाभ, आधुनिक कारागारों और सुधारात्मक प्रणाली में किए गए कार्य के अनुरूप होंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) कारागार के अधिकारियों एवं स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को बुनियादी प्रशिक्षण और आवधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे कुशलतापूर्वक और व्यावसायिक रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

अध्याय पांच

कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

प्रभारी अधिकारी के कार्य और कर्तव्य

12. (1) अधिनियम के प्रावधानों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अथवा कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख के आदेश और निदेशों के अधीन, कारागार के प्रभारी अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता और सहयोग से कैदियों के प्रवेश,, कारागार की सुरक्षा, सुधार कार्यक्रम, कारागार के अंदर आगंतुकों को अनुमति, व्यय, अनुशासन, सजा एवं नियंत्रण और कैदियों की रिहाई सहित सभी मामलों में जेल प्रबंधन करेगा।

(2) प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के अधीन कारागार के उचित रखरखाव और सभी उपकरणों और मशीनरी आदि के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा ...
उत्तराखण्ड

(3) प्रभारी अधिकारी उसकी देखरेख में सौंपे गए सभी दस्तावेजों जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप में ई–रिकार्ड सम्मिलित है, और कैदियों से लिए गए धन एवं अन्य वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, और ऐसे अन्य कर्तव्यों तथा ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) कारागार के प्रभारी अधिकारी कैदियों के विनियमन, कारागार अनुशासन को बनाये रखने, और उच्च सुरक्षा वाले वार्डों सहित कारागार के उचित प्रबंधन के लिये अधिनियम के अधीन अथवा विहित नियमों के अधीन उसे सौंपी गयी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

चिकित्सा अधिकारी

13. प्रत्येक कारागार के लिए एक चिकित्सा अधिकारी होगा। यदि चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, तो सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी चिकित्सक, अस्पताल या जिला सिविल अस्पताल के रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, उप–कारागार या जिला या केंद्रीय कारागार, जैसा भी मामला हो, चिकित्सा अधिकारी के रूप में स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर कार्य करेंगे।

अन्य कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य

14. अन्य सभी कारागार कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सौंपे गए कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर करेंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कारागार के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में शक्तियों का प्रयोग

15. प्रभारी अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी की सभी या किसी भी शक्ति एवं कर्तव्य का उसकी अनुपस्थिति में, ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) जैसा कि सक्षम प्राधिकारी/कारागार मुख्यालय के प्रमुख द्वारा निर्धारित किया जाय द्वारा या तो नाम से या आधिकारिक पदनाम द्वारा प्रयोग तथा निष्पादित किया जा सकता है।

कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों का कैदियों और जेल अनुबंधों में रुचि नहीं रखना

16. कारागार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी कैदी या किसी कैदी के किसी संबंधी या मित्र से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापारिक लेन–देन नहीं करेगा और न ही उसका कोई व्यापारिक लेन–देन होगा। उसका कारागार/जेल संस्थान के साथ या जेल के प्रावधानों या किसी अन्य वस्तु की आपूर्ति के लिए किसी भी अनुबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित नहीं होगा और न ही वह ऐसे किसी प्रावधान की बिक्री या खरीद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त करेगा। वह सेवा के आचरण नियमों से बाध्य होगा, जैसा विहित किया जाय।

कर्मचारी कल्याण

17. कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता और सलाह देने के लिए कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख कर्मचारी कल्याण विंग की स्थापना करेंगे।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अध्याय छः

कारागार प्रशासन में प्रौद्योगिकी का उपयोग

कारागार प्रशासन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग

18. (1) राज्य की कारागारों के प्रभावी प्रबंधन और संचालन के लिए तथा कारागारों और कैदियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का एकीकरण और एम्बेडिंग सुनिश्चित करेंगे, जिसमें बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी प्रणाली, स्कैनिंग और पहचान उपकरण, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID), वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाएं सम्मिलित होंगे। कैदियों के लिए प्रत्येक कारागार में कोर्ट की सुनवाई /परीक्षण में भाग लेने के लिए और कैदियों की आवाजाही के लिए सहज बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम प्रदान किया जायेगा।

(2) राज्य पूरे कारागार प्रशासन को कंप्यूटरीकृत करेगा और डेटाबेस को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ एकीकृत करेगा। राज्य सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान के लिए उपयुक्त इंटरफेस भी विकसित करेगा तथा कारागार और कैदी प्रबंधन प्रणाली को सुगम बनायेगा।

(3) राज्य कैदियों द्वारा सेल फोन के अनधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए जेलों में उन्नत सेलुलर जैमिंग और सेलुलर पहचान समाधान का उपयोग करेंगे। जेलों में सेल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग एवं कैदियों द्वारा इसके उपयोग का पता लगाने और प्रतिबंधित करने के लिए नवीनतम तकनीकी हस्तक्षेप (technological interventions) का उपयोग किया जाएगा।

(4) राज्य अस्थायी रूप से रिहा/जेल से छुट्टी के अधीन कैदियों पर जी.पी.एस. ट्रेकिंग डिवाईस/ एंकल ब्रेसलेट आदि का प्रयोग कर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तकनीक का उपयोग कर सकेगा।

अध्याय सात

कैदियों का प्रवेश स्थानांतरण और रिहाई

कैदियों का प्रवेश

19. (1) कारागार का प्रभारी अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत या अन्यथा किसी भी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी रिट वारंट या आदेश के अन्तर्गत जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति कारागार में सुपुर्द किया गया है या जब तक उसकी हिरासत के लिए विधिवत रूप से सुपुर्द व्यक्ति को विधि अनुसार रिहा या हटाया जाता है, ऐसे सभी व्यक्तियों को प्राप्त कर हिरासत में लेगा।

(2) कारागार का प्रभारी अधिकारी, इस तरह के रिट, वारंट या आदेश के निष्पादन के बाद या निरूद्ध व्यक्ति को रिहाई के पश्चात् उसे उस न्यायालय को जिसके द्वारा इसे जारी किया गया था विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के साथ यह दर्शाते हुए लौटा देगा कि उसे कैसे निष्पादित किया गया है या उसके द्वारा निरूद्ध व्यक्ति को उसके निष्पादन से पहले अभिरक्षा से क्यों छोड़ दिया गया है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(3) कारागार का प्रभारी अधिकारी तत्समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अधीन किसी न्यायालय या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित या जारी किये किसी दंडादेश या आदेश या किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने हेतु निर्गत वारंट को प्रभावी करने की कार्रवाई करेगा।

(4) जहां किसी कारागार के प्रभारी अधिकारी को निष्पादन के लिए भेजे गए वारंट या आदेश की वैधता पर संदेह हो वह इस मामले को पुष्टि के लिए सम्बन्धित न्यायालय को भेजेगा।

(5) उपरोक्त उपधारा (4) के अधीन किए गए एक संदर्भ के लंबित होने पर इस तरह से और इस तरह के प्रतिबंधों के साथ कैदी को हिरासत में लिया जा सकता है जैसा कि वारंट या आदेश में निर्दिष्ट किया गया है।

(6) किसी भी व्यक्ति को कानूनी वारंट को प्रस्तुत करने या न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारागार के प्रभारी अधिकारी को संबोधित सुपुर्दगी के किसी भी आदेश के अलावा अन्यथा हिरासत में रखने के लिए कारागार में भर्ती नहीं किया जाएगा।

अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में कैदी का स्थानांतरण

20. (1) जहाँ कोई व्यक्ति राज्य की जेल में कारावास की सजा के अधीन या मौत की सजा के अधीन या जुर्माना के भुगतान में चूक या शांति बनाए रखने या अच्छा व्यवहार को बनाए रखने के लिए प्रतिभूति देने में चूक के कारण निरूद्ध है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा अन्य राज्य की सरकार की सहमति से उस कैदी को राज्य की कारागार से दूसरे राज्य की किसी भी कारागार में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करेगा।

(2) किसी विचाराधीन कैदी का राज्य से दूसरे राज्य की कारागार में स्थानांतरण विचारण न्यायालय की सहमति से किया जायेगा।

प्रवेश, निकास और पुनः प्रवेश पर कैदियों की तलाशी ली जाएँगी और उनकी जांच की जाएँगी

21. (1) जब भी किसी कैदी को कारागार में प्रवेश दिया जाता है तो उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी नकदी, आभूषण, हथियार और निषिद्ध वस्तुएं या कोई अन्य वस्तु जो एक कैदी अपने पास नहीं रख सकता है उसे उससे ले लिया जाएगा और कारागार के प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा:

परन्तु यह कि एक महिला कैदी या ट्रांसजेंडर कैदी की तलाशी उपयुक्त तरीके से की जाएगी जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) कारागार में आए प्रत्येक कैदी को आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 और किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार शारीरिक और बायोमेट्रिक पहचान माप से गुजरना होगा।

(3) ऐसे प्रत्येक कैदी की उसी दिन या 24 घंटे के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी, जो वर्तमान या अतीत सहित किसी भी बीमारी, कैदी के स्वास्थ्य की स्थिति को रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।

(4) प्रत्येक कैदी जो कारागार से जाता है या कारागार में फिर से प्रवेश

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

करता है, को ऐसे निकास या प्रवेश पर तलाशी और भौतिक एवं बायोमेट्रिक पहचान से गुजरना होगा।

कैदियों की तलाशी — 22. किसी भी प्रतिबंधित वस्तु आदि का पता लगाने के लिए किसी भी कैदी की किसी भी समय तलाशी ली जा सकती है।

कैदियों का सामान — 23. कैदी की सभी मूल्यवान वस्तुएं जिनके संबंध में सक्षम न्यायालय का कोई आदेश नहीं दिया गया है और जिन्हें नियमों के अधीन किसी भी कैदी द्वारा कारागार में लाया जा सकता है या उसके उपयोग के लिए कारागार भेजा जा सकता है, उसे प्रभारी अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

विदेशी कैदियों का प्रवेश, स्थानान्तरण एवं प्रत्यावर्तन — 24. कारागार में किसी विदेशी के प्रवेश की सूचना तुरंत कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग, मुख्यालय के प्रमुख को भेजी जाएँगी और उसे विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसी जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, को अग्रेषित किया जायेगा।

अध्याय आठ

कैदियों का वर्गीकरण

वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन हेतु कैदियों का वर्गीकरण — 25. कैदियों के वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिए सरकार नियम बना सकेगी, नियम बनाने में कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

वर्गीकरण और श्रेणियों के आधार — 26. (1) वर्गीकरण और सुरक्षा मूल्यांकन के लिये, कारागार में आए विभिन्न कैदियों को उनकी आयु, लिंग, सजा की अवधि, संरक्षा एवं सुरक्षा आवश्यकताओं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं, सुधारात्मक आवश्यकताओं आदि के अनुसार वर्गीकृत किया जायेगा जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) कैदियों को निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है–

(क) सिविल कैदी,

(ख). आपराधिक कैदी,

(ग) दोषी कैदी,

(घ) विचाराधीन कैदी,

(ङ) डिटेन्यू (नजरबंद),

(च) आदतन अपराधी ,

(छ) आवर्ती अपराधी,

(3) कठोर, अभ्यस्त/उच्च जोखिम वाले कैदियों के नकारात्मक प्रभाव और कट्टरपंथी विचार प्रक्रिया से अन्य कैदियों को बचाने के लिए उपर्युक्त विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कैदियों को अलग–अलग

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

बैरकों/बाड़ों/कोठरियों में रखा जायेगा।

(4) कैदियों को लिंग के आधार पर भी अलग किया जायेगा– पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को अलग से रखा जायेगा।

(5) उपरोक्त उपधारा (2) में वर्गीकृत कैदियों को निम्नलिखित उप–श्रेणियों के अंतर्गत आगे वर्गीकृत किया जायेगा और उन्हें अलग रखा जाएगा–

(क) नशा करने वाले और शराबी अपराधी,

(ख) प्रथम बार के अपराधी,

(ग) विदेशी कैदी,

(घ) वृद्ध और कमजोर कैदी (65 + वर्ष),

(ङ) संक्रामक/चिरकालिक बीमारियों से पीड़ित कैदी,

(च) मानसिक बीमारी से पीड़ित कैदी,

(छ) मौत की सजा पाए कैदी,

(ज) उच्च जोखिम वाले कैदी,

(झ) बच्चों के साथ महिला कैदी,

(ञ) युवा अपराधी,

(6) खतरनाक और उच्च जोखिम वाले कैदियों को विशेष कक्षों या उच्च सुरक्षा कारागारों में रखा जाएगा।

(7) प्रभारी अधिकारी उच्च जोखिम वाले कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष देखभाल और सावधानी बरतेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय नौ

उच्च जोखिम वाले कैदियों, आदतन अपराधियों और कठोर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की सुरक्षा

कैदियों की आपराधिक गतिविधियों के विरूद्ध उचित कदम उठाना

27. (1) राज्य के कारागार प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवा विभाग एवं पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उच्च जोखिम वाले कैदी, आदतन अपराधी और कठोर अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठायेंगे।

(2) कैदी द्वारा किए गए अपराध के विवरण, उपलब्ध पृष्ठभूमि रिकॉर्ड, हिस्ट्री टिकट आदि के आधार पर, उनकी प्रवृत्ति और अन्य कैदियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा, कैदियों को उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें अलग बैरक /सेल में रखा जाएगा, जैसा उचित हो।

(3) समाज और पीड़ितों की सुरक्षा की दृष्टि से, उच्च जोखिम वाले कैदी, कठोर अपराधी और आदतन अपराधी सामान्य प्रक्रिया में पैरोल, फरलो या किसी भी प्रकार के कारागार अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

ड्यूटी पर जेल कर्मचारियों की सुरक्षा, खुफिया सूचना, निगरानी और रोटेशन के लिए विशेष प्रावधान	28.	(1) संगठित अपराध को रोकने और कैद के दौरान निरंतर आपराधिक गतिविधियों जिसमें गवाहों को डराना, गिरोह की गतिविधि आदि सम्मिलित हैं, के लिए कारागार एवं सुधारात्मक संस्थान ऐसे कैदियों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
		(2) गतिशील सुरक्षा सुनिश्चित करने, कारागार से निकल भागना, अव्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों की घटनाओं को रोकने के लिए, कैदियों से खुफिया जानकारी एकत्र करने हेतु उचित प्रावधान, सावधानीपूर्वक अवलोकन, कैदियों की निगरानी और संगत जानकारी का विश्लेषण करने के लिए कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विभाग द्वारा राज्य के पुलिस विभाग की अभिसूचना शाखा से समन्वय किया जायेगा।
		(3)राज्य उच्च जोखिम वाले अपराधियों और सख्त अपराधियों के कोठरियों और बैरकों में वर्जित वस्तुओं, सेल फोन आदि की समय–समय पर तलाशी और पता लगाने के लिए मजबूत और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करेगा और ऐसे क्षेत्रों में उन्नत जैमिंग व्यवस्था का समाधान स्थापित करेगा, जिसमें बार–बार औचक निरीक्षण की कार्रवाई करना भी सम्मिलित है।
		(4) ऐसे संवेदनशील बैरकों और कोठरियों में तैनात कारागार और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों को समय–समय पर बदला जाएगा ताकि सुरक्षा में किसी तरह की सांठगांठ और लापरवाही को रोका जा सके।
		(5) सजा पूरी होने पर उच्च जोखिम वाले/कठोर/आदतन अपराधी की रिहाई या विचाराधीन कैदी जमानत पर या पैरोल/फरलो आदि पर अस्थायी रूप से निर्मुक्त किए गए कैदी की निर्मुक्ति की सूचना संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी, जो ऐसे कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा।
		(6) सक्षम प्राधिकारी के रिट, वारंट या आदेश के अनुसार जिला प्रशासन, मामले के अनुसार न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायालय, चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर जाने के क्रम में कैदी की आवाजाही को पूरी तरह से सुरक्षित करेगा।
कैदियों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल	29.	कैदियों की आवाजाही और गतिविधियों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की इच्छा की शर्त पर कारागार की छुट्टी दी जायेगी। कैदी द्वारा किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर कारागार की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी, साथ ही भविष्य में दी जाने वाली किसी भी कारागार छुट्टी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अध्याय दस

महिला कैदियों के लिए कारागार व्यवस्था

महिला कैदियों के लिए अलग आवास

30. (1) सरकार महिला कैदियों के लिए इतनी संख्या में कारागार स्थापित करेगी जितनी वह समय–समय पर महिला कैदियों को समायोजित करने के लिए आवश्यक समझें। ऐसी कारागार जिसमें पुरूष एवं महिला दोनों निरूद्ध हैं, महिला कैदियों को एक अलग भवन या उसी भवन के एक अलग हिस्से में, एक अलग प्रवेश द्वार के साथ रखा जाएगा, ताकि वे किसी पुरुष कैदी से संपर्क में न आ सके। सभी बुनियादी सुविधाएं, जैसा कि पुरुषों के लिए कारागार में प्रदान की जाती हैं, महिला कैदियों को भी ऐसी अन्य सुविधाएँ जो उनकी लिंग विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, के साथ प्रदान की जाएंगी।

(2) महिला कैदियों के लिए कारागार के अस्पताल में पृथक महिला वार्ड सृजित किया जाएगा।

(3) विशिष्ट महिला कारागार और महिला परिक्षेत्र/महिला वार्ड के मामले में, केवल महिला कारागार अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात किये जायेंगे। पुरुष कारागार अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों को ऐसे कारागार या चाहरदीवारी के बाहर ड्यूटी के लिए तैनात किया जायेगा और किसी भी आकस्मिक स्थिति या कारागार अपराध के मामले में केवल प्रभारी अधिकारी या ड्यूटी पर अधिकारी द्वारा ही अंदर बुलाया जायेगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(4) महिला कैदियों को सुधारात्मक कार्यक्रमों तक पहुँच प्रदान की जायेंगी, जो उनकी लिंग आधारित विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हैं।

गर्भवती महिला कैदी

31. जब कोई महिला बंदी प्रवेश के समय या बाद में गर्भवती पाई जाती है, तो चिकित्सा अधिकारी इस तथ्य की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा। उसकी चिकित्सा देखभाल एवं पूरक आहार उपलब्ध कराने की आवश्यक व्यवस्था की जायेगी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

बच्चों के साथ महिला कैदी

32. (1) महिला कैदी अपने बच्चों को तब तक कारागार में अपने साथ रख सकती है जब तक कि बच्चा छह वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले।

(2) कारागार में अपनी माँ के साथ रहने वाले बच्चे को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य ऐसी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी, जो बच्चे के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच

33. महिला कैदी के यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर कानून के प्रावधानों के अनुसार अविलंब कार्रवाई की जायेगी।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अध्याय ग्यारह
ट्रांसजेंडर कैदी

ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए कारागार व्यवस्था

34. (1) ट्रांसजेंडर कैदियों, ट्रांसजेंडर (पुरूष/महिला दोनों) के लिए अलग–अलग परिक्षेत्र/वार्ड की व्यवस्था की जायेगी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) ट्रांसजेंडर कैदियों को किसी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल या मनो–सामाजिक आवश्यकताओं तक पहुँच उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) ट्रांसजेंडर कैदी को उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार सुधारात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों तक पहुँच प्रदान की जाएँगी।

अध्याय बारह
कैदियों की अभिरक्षा और सुरक्षा

कैदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और सुरक्षा

35. (1) कारागार का प्रभारी अधिकारी कैदियों की सुरक्षा और सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु ये यहीं तक सीमित नही होंगे:—

रखवाली के उद्देश्य से एवं कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं की पहुँच को रोकने हेतु सुरक्षित दीवारें, कारागार के गेट, अच्छी रोशनी व्यवस्था, कैदियों की निगरानी, वाच टावर, पॉवर फेंसिंग, निषिद्ध वस्तुओं पर नियंत्रण, खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रणाली, सीसीटीवी तथा अन्य उन्नत गैजेट।

(2) कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख को किसी भी कैदी को राज्य के किसी भी कारागार में स्थानांतरित करने का अधिकार होगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) प्रभारी अधिकारी के अनुरोध पर, स्थानीय पुलिस प्राधिकारी एक कैदी को न्यायालय तक ले जाने या अस्पताल ले जाने या अभिरक्षा पैरोल आदि के लिए जेल अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कैदी जिसकी सुरक्षा में विशेष जोखिम है और इसमें जेल से भागना, दंगा करना, आगजनी या कारागार की कानून एवं व्यवस्था तथा अनुशासन को प्रभावित करने वाले किसी हिंसक साधन का सहारा लेना सम्मिलित है, की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा।

(4) कैदियों पर प्रयुक्त किये जा सकने वाले नियंत्रण और बल प्रयोग का ढंग ऐसे विनियमित होगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कैदियों से मुलाकात

36. (1) कारागार अधिकारियों के उचित पर्यवेक्षण के अधीन, कैदी भौतिक या आभासी मोड के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ संवाद कर सकते हैं। कैदियों से मिलने वालों का बायोमेट्रिक सत्यापन/पहचान के माध्यम से सत्यापन/प्रमाणीकरण किया जाएगा।

(2) कैंदियों से मिलने आने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक पहचान की ऐसे अभिलेख में प्रविष्टि की जायेगी,

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) विदेशी कैदी अपने परिवार के सदस्यों और कांसुलर प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर सकते हैं, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये।

(4) कैदी अपने विधिक सलाहकार से संवाद कर सकते हैं, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये।

आगंतुकों और कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तलाशी

37. (1) कैदियों से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों की तलाशी ऐसे ढंग से की जायेगी जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) यदि कोई आगंतुक तलाशी से इनकार करता है, तो उसे कारागार में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और ऐसा निर्णय अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।

(3) आगंतुक जो कि महिलाएं, ट्रांसजेंडर या विकलांग व्यक्ति हैं, की तलाशी के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(4) कारागार में प्रत्येक प्रवेश और कारागार से निकास पर सभी कारागार अधिकारियों और कर्मचारियों की तलाशी ली जाएगी।

अध्याय तेरह

कारागारों में अनुशासन

कारागारों में अनुशासन

38. (1) प्रभारी अधिकारी के पास आवश्यक अधिकार होंगे और वह इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जेल में कैदियों, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जेल में अनुशासन लागू करने का ढंग ऐसा होगा जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) प्रत्येक कैदी का यह कर्तव्य होगा कि वह कारागार अधिकारी के आदेशों और निर्देशों तथा इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करे, और ऐसे अन्य निदेशों का पालन करे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कारागार अपराध

39. कैदी द्वारा किए जाने पर निम्नलिखित कृत्यों को जेल अपराध घोषित किया जाता है, अर्थात्:–

(1) इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए नियमों या इस अधिनियम के किसी भी नियम या विनियम की जान बूझकर अवज्ञा करना।

(2) किसी पर हमला या बल प्रयोग,

(3) जानबूझ कर और बार–बार अपमानजनक या धमकी देने वाली भाषा का प्रयोग,

(4) अनैतिक या अभद्र या उच्छृंखल व्यवहार,

(5) श्रम से बचने के लिए जानबूझकर खुद को अक्षम करना ,

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(6) यदि कैदी को कठोर कारावास की सजा दी गई है और वह काम करने से लगातार इंकार कर रहा है ,

(7) कठोर कारावास की सजा पाए किसी भी सिद्धदोष कैदी द्वारा जानबूझकर आलस्य या काम में लापरवाही,

(8) कठोर कारावास की सजा पाये किसी सिद्धदोष कैदी द्वारा जानबूझकर काम का कुप्रबंधन,

(9) कारागार की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना,

(10) भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हिस्ट्री टिकटों, अभिलेखों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें विकृत करना,

(11) किसी निषिद्ध वस्तु को प्राप्त करना, रखना या स्थानांतरित करना,

(12) किसी कारागार अधिकारी के विरूद्ध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना,

(13) आग लगने की घटना, कोई योजना या साजिश, कारागार से भागने का कोई प्रयास या भागने की तैयारी या किसी कैदी या किसी अन्य व्यक्ति या कारागार अधिकारी पर हमला करने की बात का पता लगने पर उसे तुरंत रिपोर्ट करने में चूक या इनकार करना,

(14) भागना या भागने का प्रयास, भागने का षडयंत्र करना, या भागने में सहायता करना,

(15) वायरलेस संचार उपकरणों और उनके सहायक उपकरणों का अनधिकृत उपयोग या कब्जा,

(16) कारागार परिसर में अतिक्रमण करना या इधर–उधर घूमना, जहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है,

(17) कारागार से बाहर के किसी भी व्यक्ति के साथ अनाधिकृत बातचीत,

(18) कारागार कार्मिक या कारागार मुख्यालय के कर्मचारी होने का ढोंग करना,

(19) तस्करी या तस्करी का प्रयास करना या कारागार में किसी निषिद्ध वस्तु को अपने कब्जे में रखना,

(20) साथी कैदियों को कारागार अधिकारियों के विरुद्ध मिथ्या व्यपदेशन प्रतिनिधित्व करने के लिए धमकाना,

(21) सामूहिक भूख हड़ताल या अवज्ञा या अनुशासनहीनता के किसी दूसरे कार्य में भाग लेना या उकसाना,

(22) यौन उत्पीड़न /गुदा–मैथुन,

(23) जुए जैसी असामाजिक गतिविधियों में भाग लेना या उनका आयोजन करना,

(24) उपर्युक्त अपराधों में से किसी भी कार्य में सहायता करना या उसे उकसाना।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

कारागार अपराधों के लिए सजा

40. प्रभारी अधिकारी जाँच करने के बाद, जैसा कि इस अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों द्वार निर्धारित है, उपरोक्त धारा 39 में निर्दिष्ट कारागार अपराधों के संबंध में जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 या विशेष एवं स्थानीय विधि के अधीन अपराध का गठन करने वाले मामलों को छोड़कर निम्नलिखित में से कोई भी दंड अधिरोपित कर सकता है–

(1) एक औपचारिक चेतावनी जिसका अर्थ है प्रभारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक कैदी को संबोधित चेतावनी और सजा पुस्तक में और कैदी के हिस्ट्री टिकट में दर्ज की जायेगी।

(2) एक माह की अवधि तक मनोरंजन और कैन्टीन की सुविधाओं पर रोक।

(3) तीन माह तक की अवधि के लिए अर्जित छूट की जब्ती।

(4) एक माह तक की अवधि के लिए सभी आगंतुकों की मुलाकात रोकना (अधिवक्ता की मुलाकात सम्मिलित नहीं है)।

(5) एक माह से अनधिक तक की अवधि के लिए अलग कारावास।

मोबाइल फोन और अन्य वर्जित सामग्री रखने या उपयोग करने के लिए दण्ड

41. (1) कारागार के कैदियों को कारागार में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को रखने या प्रयोग करने की मनाही है। जो कोई, कैदी या आगंतुक या कारागार कर्मी इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उल्लंघन में, ऐसे उपकरणों को रखने या प्रयोग करने या प्रस्तुत करने या हटाने या किसी भी तरह से जेल में लाने या हटाने का प्रयास करता है या किसी निषिद्ध वस्तु को किसी कैदी को आपूर्ति करता है या आपूर्ति करने का प्रयास करता है और प्रत्येक अधिकारी या कारागार कर्मी जो ऐसे नियमों के विपरीत जान–बूझ कर किसी भी ऐसी वस्तु को कारागार में लाने या बाहर निकालने की अनुमति देता है, जो किसी कैदी के कब्जे में है या किसी कैदी को आपूर्ति की जानी है और जो कोई भी इन नियमों के विपरीत किसी कैदी से संवाद करता है या संवाद करने का प्रयास करता है और जो कोई भी इस धारा द्वारा दण्डनीय अपराध करने का दुष्प्रेरण करता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कारावास या 25,000/– रूपये से अनधिक जुर्माने या दोनों से दण्डित होगा।

(2) जो कोई, कैदी या आगंतुक, या कारागार अधिकारी होने के नाते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस संचार उपकरण या उसके किसी सहायक या घटक का संचालन या उपयोग करते हुए पाया जाता है, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उसकी आपूर्ति में सहायता करने या दुष्प्रेरण करने या उकसाने वाला पाया जाता है, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति कारागार में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी भी उपकरण में हेरफेर, क्षति या नष्ट करने वाला पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि होने पर न्यूनतम दो वर्ष की अवधि जो तीन वर्ष तक बढायी जा सकेगी, के कारावास के लिए दायी होगा या पच्चीस हजार रुपये से

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अनधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(3) कैदी को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दी गयी सजा पहले से ही दी गई सजा को पूरा होने के बाद भुगतना होगा।

(4) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती होंगे।

कारागार अपराध की पुनरावृत्ति करने पर प्रकिया

42. यदि कोई व्यक्ति कारागार अनुशासन के विरूद्ध किसी भी अपराध का दोषी है, जो कि उसके द्वारा लगातार ऐसे अपराध करने के कारण या अन्यथा, प्रभारी अधिकारी की राय में, किसी भी दंड जिसको इस अधिनियम के अधीन देने लिए उसे शक्ति है, के लिए पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, प्रभारी अधिकारी ऐसे कैदी को, अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम मजिस्ट्रेट को, परिस्थितियों के विवरण के साथ अग्रेषित करेगा और तत्पश्चात् मजिस्ट्रेट, कैदी के विरूद्ध लाए गए आरोप का विचारण करेगा और दोषसिद्ध होने पर, उसे कारावास की सजा दे सकेगा, जिसे तीन वर्ष तक की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसी अवधि उस अन्य अवधि के अतिरिक्त होगी, जिसे कैदी भुगत रहा है।

कारागार अपराधों और दंड को प्रदर्शित करना

43. प्रभारी अधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों और उनके करने पर दिए जाने वाले दंड की जानकारी कैदियों और कारागार कर्मचारियों को देने के लिए कारागार के भीतर एक सहजदृश्य स्थान पर, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में नोटिस लगाएगा।

अध्याय चौदह

स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा

कैदियों की स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तक पहुंच

44. सभी कैदियों को पर्याप्त, लिंग–विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त होगी। आकस्मिक स्थिति में कारागार चिकित्सकों के परामर्श पर कैदियों को उपचार हेतु बाह्य चिकित्सालय ले जाने की सुविधा भी दी जायेगी।

मानसिक स्वास्थ्य – मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार

45. (1) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, मानसिक रोग से ग्रस्त किसी भी कैदी को रखे गए स्थान से स्थानांतरण का निर्देश बोर्ड की पूर्व अनुमति से राज्य में किसी भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 103 (अध्याय तेरह) में उल्लिखित है, दे सकती है ।

(2) इस धारा के अधीन किसी कैदी का स्थानांतरण करने की विधि, तौर–तरीके और प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय पन्द्रह

कैदियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाएँ

46. (1) कैदियों को पुस्तकालय की सुविधाओं के प्रावधान सहित उनकी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जायेंगे जैसा नियमों द्वार विहित किया जाय।

(2) कारागार सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किये जाएंगे। कारागार कैदियों के

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा [illegible]
उत्तराखण्ड

पुनर्वास की सुविधा के लिए ये कार्यक्रम विविध प्रकृति के होंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3) प्रभारी अधिकारी, कैदियों के लिए अध्यात्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक और मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करेगा जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(4) सरकार राज्य में कैदियों के कल्याण के लिए कैदी कल्याण कोष नामक एक योजना तैयार करेगी।

कैंटीन और बिक्री आउटलेट की स्थापना

47. सरकार जेल उत्पादों की बिक्री के लिए कैदियों, कारागार कर्मचारियों और जनता के लिए कैंटीन और बिक्री आउटलेट स्थापित कर सकती है, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय सोलह
दंड योजना

व्यक्तिगत दंड योजना

48. (1) प्रभारी अधिकारी द्वारा एक दण्ड योजना तैयार की जाएगी, जो कैदी के पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण को बढ़ावा देगी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) व्यक्तिगत दण्ड योजनाओं को, अद्यतन किया जाएगा और उन्हें, संबंधित कैदी की फाइलों में नियमित रूप से दर्ज किया जाएगा।

कार्यों का कार्यक्रम और मजदूरी

49. (1) प्रत्येक कैदी, जिसमें विचाराधीन कैदी या सिविल कैदी या ऐसे कैदी सम्मिलित हैं, जिन्हें साधारण कारावास की सजा दी गई है, जब वे अभिरक्षा में हों, उन्हें काम का अवसर प्रदान किया जायेगा और आनुपातिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये।

(2) किसी भी कैदी द्वारा अर्जित एवं खर्च की गई पारिश्रमिक का रिकॉर्ड, स्थगित पारिश्रमिक और उससे आनुषांगिक मामलों का विवरण भी प्रभारी अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

अध्याय सत्तरह
खुले और अर्ध खुले सुधारात्मक संस्थान

खुले और अर्ध खुले सुधारात्मक संस्थान

50. (1) सरकार कैदियों के लिए उतने खुले और अर्ध खुले सुधारात्मक संस्थान स्थापित करेगी और उनका रख–रखाव करेगी, जितने आवश्यक हों।

(2) सरकार खुले या अर्ध–खुले सुधारात्मक संस्थान में ऐसी सुविधाओं या रियायतों की अनुमति देगी, जो कैदी को समाज में उसके पुनर्वास में सहायता करे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(3). खुले या अर्ध–खुले संस्थानों के प्रबंधन के लिए नियम, जिसमें ऐसी प्रक्रिया और पात्रता सम्मिलित होगी, जिनसे ऐसे कैदियों को खुले या अर्ध–खुले सुधारात्मक संस्थानों आदि में स्थानांतरित किया जायेगा तथा उन कैदियों से निपटने के लिए जो खुले या अर्ध खुले सुधारक

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

संस्थान में स्थानांतरण की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, के नियम ऐसे होंगे, जैसा सरकार निर्धारित करे।

अध्याय अठारह

कारागार छुट्टी, छूट और समय पूर्व रिहाई

पैरोल और फरलो

51. (1) पात्र दोषी कैदियों को उनके पुनर्वास के उद्देश्य और अच्छे व्यवहार एवं सुधारात्मक उपचार के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहन के रूप में, कारागार छुट्टी दी जायेगी जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) निम्नलिखित प्रकार की कारागार छुट्टी हो सकेगी–

(क) नियमित पैरोल

(ख) आपातकालीन पैरोल

(ग) फरलो।

(3) नियमित पैरोल, सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसे उद्देश्यों के लिए दी जायेगी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये। नियमित पैरोल पर बिताई गई अवधि एक बार में तीस दिनों से अधिक नहीं होगी और एक वर्ष में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी। नियमित पैरोल पर बिताई गई अवधि को सजा के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(4) पुलिस सुरक्षा के अधीन सभी पात्र दोषियों को आपातकालीन स्थिति में 48 घंटे तक की अवधि के लिए, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, आपातकालीन पैरोल दी जायेगी। इस पैरोल के अधीन बिताई गई अवधि को सजा के भाग के रूप में गिना जाएगा।

(5) कारागार में अच्छा आचरण और अनुशासन बनाए रखने के लिए, सजा की तारीख के बाद कारागार में एक निर्धारित अवधि की कैद पूरी होने के बाद पात्र आजीवन कारावास से दंडित कैदियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रोत्साहन के रूप में एक वर्ष में एक निश्चित अवधि जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, के लिए फरलो प्रदान किया जायेगा। फरलो के अधीन बिताई गई अवधि को सजा के भाग के रूप में गिना जाएगा।

(6) सरकार के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी विधि द्वारा शासित कैदियों के संबंध में, छुट्टी की अनुमति उन कानूनों के प्रावधानों के अधीन दी जायेगी।

(7) सार्वजनिक सुरक्षा और पैरोल जंप को रोकने के लिए, कैदियों की आवाजाही और गतिविधियों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनने की इच्छा की शर्त पर कारागार से छुट्टी दी जा सकेगी। कैदी द्वारा किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर कारागार की छुट्टी रद्द कर दी जाएगी, साथ ही भविष्य में दी जाने वाली किसी भी कारागार छुट्टी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जैसा

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(8) यदि कोई कैदी जो फरलो या पैरोल पर है, नियत तारीख पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो कारागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचित किए जाने पर, पुलिस कैदी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 262 के प्रावधानों के अधीन गिरफ्तार करेगी और कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेगी।

कैदियों का परिहार 52. (1) सजा काटने के दौरान, एक दोषी कैदी के समग्र अच्छे व्यवहार और आचरण के अधीन, उसे परिहार प्रदान किया जायेगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) ऐसे परिहार की अवधि और मानदंड ऐसे होंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

समय–पूर्व रिहाई 53. सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कैदी को उसके पुनर्वास और समाज में एकीकरण के उद्देश्य से समय पूर्व रिहाई की अनुमति दी जायेगी। सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अधीन, उचित मामलों में एक दोषी कैदी की समयपूर्व रिहाई के मामलों पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए एक सजा समीक्षा बोर्ड का गठन करेगी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

अध्याय उन्नीस

कारागारों का निरीक्षण

कारागारों का निरीक्षण 54. (1) कारागारों के निरीक्षण के लिए दोहरी व्यवस्था होगी–

(क) वरिष्ठ जेल अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण – कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख द्वारा सभी जेलों का निरीक्षण उचित रैंक के एक अधिकारी के द्वारा आवधिक अंतराल पर कराया जाएगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, और

(ख) आगंतुकों के बोर्ड (Board of Visitors) द्वारा आयोजित निरीक्षण – आगंतुकों के बोर्ड की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा की जायेगी और ऐसे कार्यों को करने के लिए इसमें ऐसे आधिकारिक सदस्य सम्मिलित होंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) प्रत्येक निरीक्षण के बाद कारागार के प्रभारी अधिकारी और कारागार एवं सुधारात्मक सेवा मुख्यालय के प्रमुख को एक लिखित रिपोर्ट दी जाएगी। कारागार से प्राप्त रिपोर्ट पर समयबद्ध रूप से कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय बीस

रिहाई के बाद देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ

रिहाई के बाद देखभाल और पुनर्वास सेवाएँ 55. सरकार कारागारों से रिहा हुए सभी जरूरतमंद कैदियों को नियमों के अनुसार समाज में उनका पुनर्वास और पुनःएकीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिहाई के बाद देखभाल की सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगी।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अधिकारी की विधिक अभिरक्षा या नियंत्रण के अधीन, कारागार में समझा जाएगा और सभी निर्देशों और अनुशासन के अधीन होगा, जैसे कि वह वास्तव में कारागार में हो।

कारागार विकास बोर्ड

64. (1) राज्य बेहतर कारागार प्रबंधन, कैदियों की सुधारात्मक गतिविधियों तथा जेल कर्मचारियों के कल्याण, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए कारागार विकास बोर्ड स्थापित करेगा।

(2) बोर्ड की संरचना, उसके उत्तरदायित्व, नियंत्रण आदि का रीति ऐसी होगी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

65. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग और निष्पादन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जायेगा जिन्हें सरकार इस संबंध में अभिहित करे।

लेखा और लेखा–परीक्षा

66. प्रत्येक कारागार का लेखा–जोखा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से रखा जाएगा और उसकी लेखा–परीक्षा की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

67. इस अधिनियम या बनाए गए नियमों या इसके अधीन जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी भी अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी।

नियमों को बनाने की सरकार की शक्तियाँ

68. सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

69. (1) कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9), बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का 3) और बंदी अंतरण अधिनियम, 1950 (1950 का 29), जो राज्य पर लागू है, एतदद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए कारागारों से संबंधित सभी नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले लागू हैं और जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत या इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नही है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा परिवर्तित, संशोधित या निरसित किए जाने तक प्रभावी बने रहेंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

70. (1) यदि इस अधिनियम के किसी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान करेगी या ऐसे उपाय करेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं।

(2) सरकार उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश को प्रभावी करने के लिये कोई भी तारीख, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व की तारीख न हो, नियत कर सकेगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

अध्याय इक्कीस
विविध

विधिक सहायता

56. सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया या जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, के अनुसार कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता की सुविधा प्रदान करेगी।

प्रत्येक जिले में विचाराधीन समीक्षा समितियों का गठन

57. (1) प्रत्येक जिले के लिए एक विचाराधीन समीक्षा समिति होगी, जिसके अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे, और इसमें ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

(2) समिति प्रत्येक तिमाही पर बैठक करेगी और जिले के सभी कारागारों के पात्र कैदियों के मामलों की समीक्षा एवं उचित सिफारिशें करेगी।

कैदी की मृत्यु पर रिपोर्ट

58. किसी भी कैदी की मृत्यु पर, चिकित्सा अधिकारी सभी संगत विवरण, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, को तुरंत अभिलिखित करेगा और कारागार के प्रभारी अधिकारी तथा कारागार एवं सुधारात्मक सेवाओं के प्रमुख को रिपोर्ट भेजेगा।

शिकायत निवारण तंत्र

59. कैदियों और कारागार कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र होगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

कैदियों की सेवाओं का उपयोग

60. प्रभारी अधिकारी कारागार के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए कैदियों की सेवाओं का उपयोग करेगा, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।

हड़ताल और आंदोलन का निषेध

61. किसी भी कैदी, आगंतुक या कारागार में कार्यरत किसी भी व्यक्ति को किसी भी अनुरोध या मांग को पूरा कराने के लिए कारागार के भीतर हड़ताल करने या किसी भी आंदोलन को आरम्भ करने या जारी रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

आपातकाल

62. प्रभारी अधिकारी, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाये, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 या अन्य प्रासंगिक अधिनियम और किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य आदेश या निर्देश के अनुरूप आवश्यक उपकरणों की खरीद और कारागारों में किसी भी आपातकालीन स्थिति को रोकने, त्वरित प्रतिक्रिया दल आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी अन्य प्रावधान सहित, नियंत्रित करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करने के सभी उचित उपाय करेगा।

कैदियों की बाह्य हिरासत, नियंत्रण और रोजगार

63. एक कैदी, जिसे कारागार में विधिक रूप से परिरूद्ध रखा गया है, को जब कारागार से पेशी के लिए न्यायालय में या चिकित्सा उपचार के लिए अस्पताल लाया/ले जाया जा रहा है, या जब भी वह बाहर काम कर रहा है या अन्यथा ऐसी किसी भी कारागार की सीमा से परे है तो कारागार से संबंधित कारागार अधिकारी या ऐसे कर्तव्य के लिए तैनात किसी अन्य

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड